न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–1, आजमगढ।

स्टेट बनाम बहाजुद्दीन आदि।

सत्र परीक्षण संख्या–154/2021
मु०अपराध सं०–185/2020
धारा–147,148,149,302/149,307/149,
506,120 बी भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम
थाना–निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

दिनाँकः21.09.2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **बहाजुद्दीन, जिबरान, फरहान, सफवान, दानिश, मो० आरिफ उर्फ मुन्ना, खालिद** जेरे हिरासत जिला कारागार आजमगढ़ से उपस्थित। पत्रावली 10 ख , 11 ख उन्मोचन प्रार्थना अंतर्गत धारा–227 दं०प्र०सं० हेतु नियत है। उक्त प्रार्थना पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना पत्रावली का परिशीलन किया।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र सं० 10 ख एवं 11 ख अंतर्गत धारा 227 दं०प्र०सं०–

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 10 ख, 11 ख अन्तर्गत धारा 227 सी.आर.पी.सी में प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं रंजिशवश मुकदमा उपरोक्त में उन्हें अभियुक्त बनाया गया है। घटना के समय आवेदकगण/अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 302,307,147,148,149,506,120–बी भा०दं०वि० में पंजीकृत हुई जबकि कथित घटना के समय आवेदकगण/अभियुक्तगण घटनास्थल से कहीं अन्यत्र मौजूद थे। अभियुक्त खालिद प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। राय मशविरे के आधार पर उसको अभियुक्त बनाया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए अभियुक्तगण की घटना कारित करने में सक्रिय भूमिका पाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। प्रार्थनापत्र निराधार है। खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 12–10–2020 को समय करीब 11–00 बजे दिन स्थान ग्राम चकिया हुसेनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की घटना को लेकर वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण **बहाजुद्दीन, जिबरान, फरहान, सफवान, दानिश, मो० आरिफ उर्फ मुन्ना, दानिश** के विरूद्ध थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में मु०अ०सं० 185/2020 अन्तर्गत धारा 302,307,147,148,149,506,120-बी भा०दं०वि० में अभियोग पंजीकृत किया गया। वाद विवेचना कर विवेचक द्वारा अभियुक्त **खालिद** के विरूद्ध धारा–147,148,149,302/34,307,506,120 बी भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप व अभियुक्तगण **बहाजुद्दीन, जिबरान, फरहान, सफवान, दानिश के विरूद्ध** धारा–147,148,149,302,307,506,120 बी भा०दं०सं० का आरोप अभियुक्त मो **आरिफ उर्फ मुन्ना**

के विरूद्ध 302, 120 बी भा०दं०सं०का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अपचारी किशोर **मो० वासिफ** के विरूद्ध धारा-302/34,307,147,148,149,506,120 बी भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड आजमगढ़ प्रेषित गया। आरोप विरचन के स्तर पर आरोप अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित हो रहा है कि इस तथ्य को नहीं देखना होता है प्रथम दृष्टया मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध बन रहा है यही विचार करना होता है। **उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पाणि 2005(51) ए.सी.सी 209 सुप्रीम कोर्ट)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि आरोप विरचन अथवा उन्मोचन के इस स्तर पर गम्भीरता से जांच की आवश्यकता नही हैं। क्योंकि ऐसा करना सूक्ष्म विचारण की परिधि में आ जायेगा जो कि दाण्डिक विधि के स्थापित सिद्धान्तों विपरीत है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में जो आधार लिया गया है उस आधार पर अभियुक्तगण को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। यह बाद में साक्ष्य का विषय होगा कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध बनता है या नही। इस स्तर पर अभियुक्त को कोई लाभ नही दिया जा सकता। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र 10 ख, 11 ख आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **दानिश, आरिफ उर्फ मुन्ना** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 10 ख, 11 ख आधारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पत्रावली दिनांक 06.10.2021 पेश हो।

दिनांक–21.09.2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–01, आजमगढ़।